संख्या-3016 /X-2-2008-12(66)/2006

प्रेषक,

आर0के0मिश्र
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 24 सितम्बर, 2008

विषयः- अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिर्धानित योजना "प्रोजेक्ट एलीफेन्ट" के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0-259/10-25 दिनांक 25 अगस्त, 2008 तथा भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11/2002-(PE), दिनांक 31 जुलाई, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित "प्रोजेक्ट एलीफेन्ट" योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 हेतु रू0 1,00,00,000/- (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. उक्त स्वीकृत व्यय भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांक 31 जुलाई, 2008 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं अनुमोदित मदों पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग पृथक कार्यो के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय.
2. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27 मार्च, 2008, तथा वित्त विभाग के पत्र सं0-326/XXVII(1)/2008, दिनांक 23 अप्रैल, 2008 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति / यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. निर्माण कार्य सम्बन्धी आगणनों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाय तथा यथा-आवश्यकता नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति पृथक से प्राप्त की जाय. बी.एम.-13, 17 पर धनराशि व्यय / अवमुक्ति सम्बन्धी सूचनायें एवं विवरण समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड प्रोक्रयूरमेन्ट नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्तपुस्तिका में अंकित सुसंगत नियमों/प्रतिबन्धों, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
3. योजना की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहाँ आवश्यकता हो समक्ष स्तर से सहमति/स्वीकृति ली जाय.
4. क्षेत्र की योजना के सापेक्ष आवंटन अपने स्तर से किया जाय तथा धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
5. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.

क्रमशः........2

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
7. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110-वन्य जीवन परिरक्षण 01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0103-**"प्रोजेक्ट एलीफेन्ट"** हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामे डाला जायेगाः-

(धनराशि रू0 हजार में)

मानक मद / मद प्रकार	बजट प्राविधान	पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति	वर्तमान स्वीकृति
1	2	3	4
24- वृहत निर्माण कार्य साख सीमा	20000	300	500
25- लघु निर्माण कार्य	15000	0	5880
26- मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	6000	0	520
29- अनुरक्षण	25000	2680	3000
44- प्रशिक्षण व्यय कोषागार	500	0	100
योग	**66500**	**2980**	**10000**

(वर्तमान स्वीकृति रू0 एक करोड़ मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27 मार्च, 2008 तथा शासनादेश सं0-326/XXVII(1)/2008, दिनांक 23 अप्रैल, 2008 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

(आर0के0मिश्र)
अपर सचिव

संख्या- 3016(1)/X-2-2008, तद्दिनांकत.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
3. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, शिविर कार्यालय-देहरादून.
4. निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखण्ड, देहरादून.

क्रमशः........3

5. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
6. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
7. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन.
8. निजी सचिव, मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन.
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन.
10. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल.
11. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
13. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
14. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
15. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
16. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
17. गार्ड फाइल (जे).

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव